न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

मामला सं. 267 और वर्ष 2014

ग्यारसीलाल, ताराचन्द पुत्र जगदीश जाति जाट सा. फगोडियावाला तहसील सांगानेर।
जगदीश नारायण पि. रामरतन जाति जाट सा. फगोडियावाला
श्रीमती नन्छी देवी पत्नी श्री बालूराम रैगर,, घासीलाल पुत्र बुराराम रैगर, कैलाश, सुरेश पि. घासीराम रैगर, जाति रैगर सा. मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
रश्मी पत्नी घनश्याम व श्रीमती संगीता पत्नी नन्दकिशोर शर्मा नि. 3, नन्दपुरी, बाईस गोदाम, जयपुर।

..................आवेदक

विषयः– **राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।**

<u>आदेश</u>

दिनांक 9/9/14

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैः–

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन निम्नलिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है:–

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल हैक्ट. में	स्वामित्व
तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	ग्राम दौलतपुरा	480	0.05	ग्यारसीलाल, ताराचन्द पुत्र जगदीश जाति जाट सा. फगोडियावाला तहसील सांगानेर।
		481	0.08	
		482	2.37 में से रकबा 1.87 हैक्ट.	
		502	रकबा 0.45 हैक्ट. में से रकबा 0.09 हैक्ट.	
		505	रकबा 3.41 हैक्ट. में से रकबा 1.13 हैक्ट.	
		549	रकबा 0.08 हैक्ट. में से रकबा 0.03 हैक्ट.	
		550	रकबा 3.25 हैक्ट. में से रकबा 3.22 हैक्ट.	
		483/1	0.08	जगदीश नारायण पि. रामरतन जाति जाट सा. फगोडियावाला
		540	0.09	श्रीमती नन्छी देवी पत्नी श्री बालूराम रैगर,, घासीलाल पुत्र बुराराम रैगर, कैलाश, सुरेश पि. घासीराम रैगर जाति रैगर सा. मांग्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
		541	0.01	
		546	रकबा 1.61 हैक्ट. में से रकबा 1.51 हैक्ट.	
		547	रकबा 1.59 हैक्ट. में से रकबा 1.50 हैक्ट.	
		548	रकबा 0.23 हैक्ट. में से रकबा 0.21 हैक्ट.	
तहसील–सांगानेर जिला–जयपुर	ग्राम प्रेमपुरा	338	रकबा 3.52 हैक्ट. में से रकबा 0.13 हैक्ट.	रश्मी पत्नी घनश्याम व श्रीमती संगीता पत्नी नन्दकिशोर शर्मा नि. 3, नन्दपुरी, बाईस गोदाम, जयपुर।
		कुल किता 14	कुल रकबा 10.00 हैक्ट.	

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की–मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि ग्राम **दौलतपुरा** तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 480 रकबा 0.05 हैक्ट. ख.नं. 481 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 482 रकबा 2.37 में से रकबा 1.87 हैक्ट. ख.नं. 502 रकबा 0.45 हैक्ट. में से रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 505 रकबा 3.41 हैक्ट. में से रकबा 1.13 हैक्ट. ख.नं. 549 रकबा 0.08 हैक्ट. में से रकबा 0.03 हैक्ट. ख.नं. 550 रकबा 3.25 हैक्ट. में से रकबा 3.22 हैक्ट. ख.नं. 483/1 रकबा 0.08 हैक्ट. ख.नं. 540 रकबा 0.09 हैक्ट. ख.नं. 541 रकबा 0.01 हैक्ट. ख.नं. 546 रकबा 1.61 हैक्ट. में से रकबा 1.51 हैक्ट. ख.नं. 547 रकबा 1.59 हैक्ट. में से रकबा 1.50 हैक्ट. ख.नं. 548 रकबा 0.23 हैक्ट. में से रकबा 0.21 हैक्ट. किता 13 रकबा 9.87 हैक्ट. एवं **ग्राम प्रेमपुरा** तहसील सांगानेर के ख.नं. 338 रकबा 3.52 हैक्ट. में से रकबा 0.13 हैक्ट. दोनों ग्रामों कुल किता 14 कुल रकबा 10.00 हैक्ट. में स्थित भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का गैर कृषि आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी पर लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगत विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात्, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आबंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।

6. इन नियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जायेगी।

7. यह निर्णय स्थानीय प्राधिकारी (सचिव, जविप्रा, जयपुर) की अनुमति के पश्चात जारी किया जा रहा है।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 09.09.14 को पारित किया गया।

(राजकुमार सिंह)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन–11/2014 3019 दिनांक 9/9/14

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित की गयी–

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. तहसीलदार, सांगानेर तहसील को पूर्वोक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम नामान्तरण करने और इस आदेश के 7 दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी और अधोहस्ताक्षरी को उसकी प्रति भेजने के लिए।
3. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र को उनके पंजीयन कमांक 197314 दिनांक 14.8.14 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(राजकुमार सिंह)
प्राधिकृत अधिकारी, उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर